बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश

सं0–07/स्था0–01–20/2014 परि0 पटना, दिनांक–

श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्तन अवर निरीक्षक को विभागीय आदेशों का उल्लंघन, तथ्यों को छुपाकर विभाग को भ्रमित करते हुए राजस्व हित को प्रभावित करने तथा पुलिस अनुसंधान में असहयोग करने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–(3) एवं नियम–(24) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए कार्यालय आदेश सं0–4224, दिनांक–06.07.2016 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया था।

श्री सिंह के विरूद्ध उनकी पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न संबंधी अपराधीकृत्य के लिए कुदरा थाना कांड सं0–280/15 एवं भभुआ महिला थाना कांड सं0–44/2015 दर्ज कराया गया है।

उपर्युक्त मामले की प्रारंभिक सुनवाई दिनांक–29.08.2015 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भभुआ द्वारा करते हुए श्री सिंह को इस शर्त पर जमानत दिया गया था कि वे पत्नी को इज्जत एवं सम्मान के साथ रखेंगे। परन्तु श्री सिंह की पत्नी द्वारा पुलिस अधीक्षक, कैमूर को दिनांक–05.11.2015 को आवेदन देकर शिकायत की, कि उनके पति द्वारा मारपीट की गयी है जिसे पुलिस अधीक्षक, कैमूर के प्रतिवेदन में दर्ज कांड को सत्य पाया गया है। फलस्वरूप माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैमूर द्वारा श्री सिंह के अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया तब से श्री सिंह भगोड़ा घोषित थे और पुलिस अनुसंधान में सहयोग न किये जाने की सूचना प्राप्त है। श्री सिंह के भगोड़ा होने के कारण राज्य राजस्व भी प्रभावित हो रहा था।

दिनांक–06.07.2017 को श्री सिंह की पत्नी श्रीमती अंजना कुमारी द्वारा शपथ–पत्र के साथ प्रधान सचिव से अनुरोध किया है कि उनके और उनके पति के बीच जो विवाद था, वो समाप्त हो गया है। अतः उन्हें निलंबन मुक्त किया जाए। साथ ही माननीय अपर जिला एवं सत्र–न्यायाधीश, कैमूर द्वारा दिनांक–20.06.2017 को बेल पीटीशन सं0–413/2017 में श्री सिंह को जमानत दी गयी है। साथ ही तीन महीने के अन्दर ट्रायल शुरू करने का निदेश दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए कार्यहित में श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्तन अवर निरीक्षक को आदेश निर्गमन की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे परिवहन विभाग (मुख्यालय) में योगदान दें। श्री सिंह के विरूद्ध इस विभाग के आदेश सं0–5, दिनांक–02.01.2017 द्वारा गठित एवं संचालित विभागीय कार्यवाही यथावत चलती रहेगी।

श्री सिंह के निलंबन अवधि का विनियमितिकरण उनके विरूद्ध गठित एवं संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर बाद में लिया जायेगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 07/स्था0–01–20/2014 परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 07/स्था0–01–20/2014 परि0 4293 पटना, दिनांक– 23.08.17

प्रतिलिपि– मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा/स्थापना शाखा/रक्षित पंजी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सम्प्रति संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना में संलग्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/8
राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।